



हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखाओं पर एक दृष्टि 2010-2011



महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखाओं पर एक दृष्टि

2010-11

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

हिमाचल प्रदेश शिमला

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के 'लेखाओ पर एक दृष्टि' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के तेरहवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किये गये इस वार्षिक वित्तीय तथा विनियोजन लेखाओं में उपलब्ध सूचना के प्रधान-अंगों को और अधिक सुगम तथा सारगर्भित बनाना ही इस प्रकाशन का उद्देश्य है। वित्तीय लेखे, समेकित निधि लेखाओं की संक्षिप्त-विवरणिकाएं हैं। विनियोजन लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

'लेखाओ पर एक दृष्टि' सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है। संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणिकाओं तथा लेखाचित्रों के माध्यम से सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

इस प्रकाशन में सुधार हेतु आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।



एन. गोस्वामी

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

शिमला

दिनांक 22-02-2012

हमारा ई मेल पता : agaehimachalpradesh@cag.gov.in

हमारी दृष्टि, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- ❖ स्वतन्त्रता
- ❖ व्यावसायिक उत्कृष्टता
- ❖ वस्तुनिष्ठता
- ❖ पारदर्शिता
- ❖ सत्यनिष्ठा
- ❖ सकारात्मक दृष्टिकोष
- ❖ विश्वसनीयता

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	अधिदृष्टि	
1.1	भूमिका	1
1.2	लेखाओं की संरचना	1-2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे	3-4
1.4	निधियों को स्रोत तथा अनुप्रयोग	4-6
1.5	लेखाओं का प्रमुख आकर्षण	7
1.6	घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं	8-10
अध्याय 2	प्राप्तियां	
2.1	भूमिकां	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11-12
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	13-14
2.4	राज्य का अपने कर राजस्व संग्रह का निष्पादन	14
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	15
2.6	संघीय करों के राज्यभाग की प्रवृत्ति	15
2.7	सहायता-अनुदान	16
2.8	लोक ऋण	16
अध्याय 3	व्यय	
3.1	भूमिका	17
3.2	राजस्व व्यय	17-18
3.3	पूंजीगत व्यय	19
अध्याय 4	योजनागत एवं गैर-योजना व्यय	
4.1	व्यय का विभाजन	20
4.2	योजनागत व्यय	20-21
4.3	गैर-योजना व्यय	21
4.4	प्रतिबद्धता व्यय	22
अध्याय 5	विनियोजन लेखे	
5.1	विनियोग लेखों का सारांश	23
5.2	बचतों /आधिक्य का स्मृदान	23
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	24-26
अध्याय 6	परिसम्पतियां तथा दायित्व	
6.1	परिसम्पतियां	27
6.2	ऋण तथा दायित्व	27-28
6.3	प्रतिभूतियां	28
अध्याय 7	अन्य मदें	
7.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	29
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	29
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	29
7.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	30
7.5	लेखाओं का समाधान	30
7.6	कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रेषण	30
7.7	सार आकस्मिकता बिल/विस्तृत आकस्मिकता बिल	30-31
7.8	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण की वचनबद्धता	31

अधिदृष्टि


1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखाओं को सग्रहित, वर्गीकृत, विश्लेषण एवं संकलित किया जाता है। यह संकलन जिला खजानों, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलो व वन मण्डलो द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनों पर आधारित होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रतिमाह सिविल लेखा भेजा जाता है जिसके साथ सरकार के व्यय की गुणवत्ता, महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की तिमाही सराहना टिप्पणी भी भेजी जाती है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात महालेखाकार (लेखा व हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

<p>भाग- I समेकित निधि</p>	<p>कर तथा गैर - कर राजस्वों सहित सरकार की समस्त प्राप्तियां तथा उठाए गए ऋण एवं दिये गए ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) चुकता ऋणों तथा लिए गए ऋणों की अदायगी (ब्याज सहित) सहित सरकार की समस्त प्राप्तियों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।</p>
<p>भाग- II आकस्मिकता निधि</p>	<p>विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5 करोड़ है।</p>
<p>भाग- III लोक लेखा</p>	<p>समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है - लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षों में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखाकरण सत्ता के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।</p>



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ - साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-1 में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश - विवरणिका एवं सार्थक लेखाकरण नितियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया गया है खण्ड-II के अन्तर्गत अन्य सारांश विवरणिकाएं (भाग- I), विस्तृत विवरणिकाएं (भाग- II) तथा परिशिष्ट (भाग- III) लिए गये हैं ।

वित्त लेखे 2010-11 के अन्तर्गत दर्शाई गई हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण निम्नलिखित हैं -

(₹ करोड मे)

राजस्व (कुल:15962)	राजस्व (कुल: 12711)	कर राजस्व	5358
		गैर कर-राजस्व	1695
		सहायता अनुदान	5658
	पूंजीगत (कुल:3251)	अन्य प्राप्तियां	646
		ऋणों व अग्रिमों की वसूली	73
		ऋणदान तथा अन्य दायित्व*	2532
संवितरण (कुल 15962)	राजस्व	13946	
	पूंजीगत	1789	
	ऋण एवं अग्रिम	227	

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹1352 करोड की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड- II में परिशिष्ट- VII में प्रदर्शित किया गया है।

* उधारी तथा अन्य दायित्व: सकल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक ऋण + सकल आकास्मिकता निधि + सकल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक लेखा + सकल प्रारम्भिक तथा समापन रोकड़ शेष।

1.3.2 विनियोजन लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 11- प्रभारित विनियोजन तथा 32- दत्तमत अनुदान है। विनियोजन लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोजन के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोजन अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत व्यय में घटौती के कारण ₹796 करोड़ (प्राक्कलनों का 5 %) की सकल बचत तथा ₹778 करोड़ (प्राक्कलनों का 65 %) के अव-प्राक्कलनों को दर्शाया गया है। भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन, लोक निर्माण - सड़क एवं पुल, तथा भवन एवं सिंचाई, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अन्तर्गत प्रचुर - आधिक्य प्रदर्शित किए गए हैं।

31 मार्च 2011 को ₹1.00 करोड़ की राशि संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए सी) के माध्यम से आहरित राशि बकाया पड़ी है।

1.4 निधियों का स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा राज्य सरकारों को उनके रोकड़-शेषों में अस्थाई कमी को पूरा करने हेतु अर्थोपाय - अग्रिम (डब्ल्यू एम ए) तथा ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान हिमाचल राज्य सरकार इस प्रकार की किसी भी सुविधा पर आश्रित नहीं रही थी।

4.2 निधि-प्रवाह विवरणिका

राज्य का राजस्व-घाटा ₹1235 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹2532 करोड़ दर्शाया गया है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का क्रमशः 2% तथा 5% था। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 16% रहा। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹154 करोड़) लोक लेखा में बढ़ौतरी (₹1021 करोड़) तथा आदि तथा अन्त शेष में निवल कमी (₹30 करोड़) राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹12711 करोड़) का लगभग 78% वेतनों (₹5824 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹1950 करोड़) तथा पेंशन (₹2105 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ था।


निधियों का स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड मे)


स्रोत	विवरण	राशि
	1.4.2010 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-) 302
	राजस्व प्राप्तियां	12711
	पूंजीगत प्राप्तियां	646
	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	73
	लोक ऋण	2411
	लघु बचत, भविष्य निधि व अन्य	2166
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	433
	प्राप्त जमा	1505
	चुकता किए गए सिविल अग्रिम	125
	उचन्त लेखे	25951
	सम्प्रेषण	3864
	योग	49583

प्रयुक्त	राजस्व व्यय	13946
	पूंजीगत व्यय	1789
	दिए गए ऋण	227
	लोक ऋणो की अदायगी	870
	लघु बचत, भविष्य निधि तथा अन्य	1278
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	494
	प्राप्त जमा	1172
	दिए गए सिविल अग्रिम	125
	उचन्त लेखे	26138
	सम्प्रेषण	3816
	31-03-2011 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-) 272
	योग	49583

1.4.3 रूपया कहाँ से आया



1.4.4 रूपया कहाँ गया



1.5 लेखाओं के प्रमुख आकर्षण

(₹ करोड़ में)

क्र० स०		बजट प्राक्कलन 2010-11	वास्तविक आंकड़े	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी०डी०पी० के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	4590	5358	117	10
2.	गैर कर-राजस्व	1779	1695	95	3
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5220	5658	108	11
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	11589	12711	110	24
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	26	73	281	--
6.	अन्य प्राप्तियां	--	646	--	1
7.	ऋण तथा अन्य दायित्व	2438	2532	104	5
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	2464	3251	132	6
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	14053	15962	114	30
10.	आयोजनेतर व्यय (एन०पी०ई०)	10920	12314	113	23
11.	राजस्व-लेखा पर एन०पी०ई०	10888	12294	113	23
12.	11 में से ब्याज अदायगियों पर एन०पी०ई०	2232	1950	87	4
13.	पूंजीगत लेखा पर एन०पी०ई०	32	20	63	--
14.	योजना व्यय (पी०ई०)	3133	3648	116	7
15.	राजस्व लेखा पी०ई०	1205	1652	137	3
16.	पूंजीगत-लेखा पी०ई०	1928	1996	104	4
17.	कुल व्यय (10+14)	14053	15962	114	30
18.	राजस्व व्यय (11+15)	12093	13946 *	115	27
19.	पूंजीगत व्यय (13+16)	1960	2016	103	4
20.	राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+)(18-4)	(-504)	(-) 1235*	(-)245	(-)2
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	(-)2438	(-) 2532*	(-)104	(-)5

₹1235 करोड़ का राजस्व घाटा (2009-10 में ₹805 करोड़) तथा ₹2532 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (2009-10 में ₹2784 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.36% तथा 4.83% है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 16% रहा। राज्य सरकार की राजस्व-प्राप्तियों (₹12711 करोड़) का लगभग 73% वेतनों (₹5824 करोड़), ब्याज अदायगियों (₹1950 करोड़) तथा पेंशन (₹2105 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्ययों पर खर्च किया गया।

(क) संघीय करों ₹1715 करोड़ के राज्य - भागों सहित

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्व- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹ 4 करोड़ सहित।

(घ) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹ 223 करोड़ सहित।

(ङ) पूंजीगत लेखाओं पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 1789 करोड़) तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम (₹ 227 करोड़) सम्मिलित हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से ग्रहित ₹ 52426 करोड़ रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद सम्बन्धी आंकड़े।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 700 करोड़ (₹ 643 करोड़ + ₹ 57 करोड़) की राशि शामिल है।


1.6 घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा /आधिक्य	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये
राजकोषीय घाटा /आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित करके पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।


सरकार के राजकोषीय निष्पादन को आंके जाने हेतु घाटा-संकेतक, राजस्व-सम्बन्धन तथा व्यय-प्रबन्धन प्रमुख मापदण्ड हैं। बारहवे -वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्य स्वयं राजकोषीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफ आर बी एम.) को अधिनियमित करें। जिसमें (i) राजस्व घाटे को पिछले वर्ष की तुलना में कम करने तथा मार्च 2009 तक खत्म करने के पश्चात राजस्व अधिशेष उत्पन्न करे (ii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद को तीन प्रतिशत तक लाने के लिए राजकोषीय घाटे में तत्परता से कमी करना; तथा (iii) दीर्घावधि ऋण पर इसकी बकाया गारंटियों में तत्परता से कमी करना, जब तक यह विगत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की बकाया जोखिम भारित गारंटियों को 80% तक समाप्त न कर दें जिसके लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध है। राज्य सरकार ने 2011 के बिल संख्या 3 द्वारा संशोधित राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम में प्रावधान किया कि (i) वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त करना तथा तत्पश्चात राजस्व अधिशेष बनाए रखना (ii) राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2010-11 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5% तक या इससे कम करना, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक या इससे कम करना तथा तत्पश्चात राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के स्तर तक या इससे कम बनाए रखना (iii) परादेय ऋण को वित्तीय वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 तक सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 49.7%, 47%, 44.4%, 42.1% और 40.1% तक कम करना (iv) 40% से कम के दीर्घकालिक ऋण पर परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियां बनाए रखना जिसके लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के वित्तीय लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं। यद्यपि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम (संशोधित) के अनुसार राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के स्तर को कम करने के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2006-07 (₹191.11 करोड़) तथा 2007-08 (₹ 849.55 करोड़) में प्राप्त किया गया, परन्तु राज्य सरकार का राजस्व घाटा 2008-09 (₹130.14 करोड़) 2009-10 (₹804.65 करोड़) 2010-11 (₹1235.00 करोड़) था। 2009-10 में राज्य का राजस्व घाटा ₹804.65 करोड़ था जो चालू वर्ष में बढ़कर ₹1235.44 करोड़ (53%) हो गया। राजकोषीय घाटा 2009-10 में ₹2783.91 करोड़ से ₹251.91 करोड़ कम होकर चालू वर्ष में ₹2532 करोड़ यानि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 4.83% रहा जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधित) में निर्धारित लक्ष्य (3.50%) से अधिक है। बकाया देनदारियों (₹18634 करोड़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 36%) तथा बकाया प्रतिभूतियां (₹3248 करोड़ राजस्व प्राप्तियां (₹12711.00 करोड़) का 26%) संशोधित राजकोषीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफ आर बी एम.) के अनुसार लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रुझान

राजस्व आधिक्य




राजस्व घाटा




1.6.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

राजकोषीय घाटा



1.6.3 पूंजीगत व्यय पर प्रयुक्त आदाता निधियां



पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु गृहित-निधियों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल की अपेक्षा की गई है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹1789 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष की गृहीत-निधि ₹2411 करोड़ का केवल 74% है। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण का 26% (₹870 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया।

अध्याय-2


प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2010-11 में कुल प्राप्तियां ₹15962 करोड़ थीं ।

2.2 राजस्व-प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सहित।
गैर कर-राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ इत्यादि ।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान , संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध “ वैदेशिक सहायता अनुदान ” शामिल है । बदले में , राज्य-सरकार पंचायती राज संस्थान , स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है ।



राजस्व-प्राप्तियों के घटक (2010-11)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े
क. कर राजस्व	5358
आय व व्यय पर कर*	1025
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	139
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	4194
ख. गैर कर-राजस्व	1695
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	134
सामान्य सेवाएं	103
सामाजिक सेवाएं	134
आर्थिक सेवाएं	1324
ग. सहायता अनुदान एवं अशदान	5658
सकल राजस्व प्राप्तियां	12711

पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	646
कुल – पूंजीगत प्राप्तियां	646

2.3 प्राप्तियों का रुझान


(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कर राजस्व	2285 (8)	2752 (9)	3080 (8)	3436 (8)	5358 (10)
गैर कर-राजस्व	1337 (5)	1823 (6)	1756 (5)	1784 (4)	1695 (3)
सहायता अनुदान	4213 (15)	4567 (14)	4472 (12)	5126 (12)	5658 (11)
कुल राजस्व प्राप्तियां	7835 (28)	9142 (29)	9308 (25)	10346 (24)	12711 (24)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	28358	31974	36940	42278	52426

टिप्पणी : लघु कोशटक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

हालांकि वर्ष 2009-10 से 2010-11 के बीच सकल राज्या घरेलू उत्पाद में 24 % की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी केवल 23 % ही थी । कर राजस्व 56% तक बढ़ा जबकि बिक्रय- व्यापार आदि पर करों, निगम कर, विद्युत कर तथा शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर से अन्यथा आय पर कर, संघीय आबकारी शुल्क, उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, सेवा कर, राज्य-आबकारी, वाहनों, गैर-लौह खनन व धातुकर्म-उद्योगों पर करों के अन्तर्गत विशिष्ट संग्रहणों के बावजूद गैर कर-राजस्वों में 5% तक का ह्रास हुआ । गैर का राजस्वों में यह ह्रास मुख्यता ऊर्जा, उद्योग, लांभाश तथा मुनाफा के अधीन कम-संग्रहण के कारण रहा ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक




क्षेत्र-वार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आय व व्यय पर कर	315	421	447	552	1025
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर व्यय	95	89	119	129	139
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	1875	2242	2514	2755	4194
सकल कर राजस्व	2285	2752	3080	3436	5358

सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी मुख्यतः निगम-कर (₹671 करोड़), निगम-कर से अन्यथा आय पर कर (₹354 करोड़), सीमा-शुल्क (₹300 करोड़), संघीय आबकारी शुल्क (₹157 करोड़), सेवा-कर (₹171 करोड़), के अन्तर्गत अधिक संग्रहण क्षेत्र-कर के कारण हुई ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मुख्य करों का रूझान



2.4 राज्य के अपने कर-राजस्व संग्रहण का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर राजस्व	
			कर राजस्व	जी0एस0डी0पी0से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006-07	2285	629	1657	5.85
2007-08	2752	793	1958	6.12
2008-09	3080	837	2243	6.07
2009-10	3436	862	2574	6.09
2010-11	5358	1715	3643	6.95

2.5 कर वसूली में दक्षता

क. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व वसूली	1875	2242	2514	2755	4194
व्यय पर वसूली	19	21	22	26	33
कर वसूली में दक्षता	1%	9%	1%	1%	1%

वस्तुओं और सेवाओं पर करों को कर-राजस्व का प्रमुख भाग माना जाता है। कर संग्रहण दक्षता उत्कृष्ट रही। हालांकि, सम्पदा तथा पूंजीगत लेनदेनों पर करों की संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है।


2.6 संघीय करों/आबकारी शुल्कों में राज्य का अंश में पिछले पांच वर्षों का रुझान

(करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
निगम कर	196	252	275	355	671
निगम कर के अतिरिक्त आय	119	169	172	197	354
सम्पत्ति कर	--	-	--	1	1
सीमा शुल्क	123	150	160	121	300
संघीय आबकारी शुल्क	130	143	140	97	218
सेवा कर	60	79	90	91	171
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर	--	—	--	—	—
संघीय करों में राज्य का अंश	629	794	837	862	1715
कुल कर राजस्व	2285	2752	3080	3436	5358
संघीय करों से कुल कर राज्यस्व की प्रतिशतता	28	29	27	25	32

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना स्कीमों, केन्द्रगत योजना स्कीमों तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य गैर-योजना अनुदान समाहित हैं वर्ष 2010-11 के दौरान सहायता -अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹5658 करोड़ थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है -



सकल सहायता अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों के भाग में वर्ष 2009-10 में 40% से वर्ष 2010-11 में 47 % की बढ़ोतरी हुई जबकि योजनागत स्कीमों हेतु अनुदानों के उसी भाग में वर्ष 2009-10 में 60% से वर्ष 2010-11 में 53% का ह्रास हुआ । योजनागत स्कीमों में संघीय -भाग के ₹2621 करोड़ के बजट प्राकलन के मुकाबले में राज्य सरकार ने वास्तव में सहायता -अनुदानों के रूप में ₹2636 करोड़ (बजट प्रांकलन का 101%) प्राप्त किये हैं ।

2.8 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आन्तरिक ऋण	12132	13049	14456	16129	17694
केन्द्रीय ऋण	1020	1015	971	984	960
कुलजोड़	13152	14064	15427	17113	18654

वर्ष 2010-11 में ₹645 करोड़ के दो ऋण 8.52% तथा 8.42% की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2020-21 में प्रतिदेय थे । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्था से ₹967 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन0एस0एस0एफ) से ₹761 करोड़ का ऋण लिया था। इस प्रकार कुल आन्तरिक ऋण ₹2372 करोड़ लिया गया । सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹39 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया था ।

अध्याय- 3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग संगठन के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यय को और आगे योजनागत तथा आयोजनेत्तर के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, पेंशन इत्यादि
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि

3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय के आधिक्य, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बजट प्राक्कलन	6675	7556	9328	10222	12093
वास्तविक आंकड़े	7644	8292	9438	11151	13946
अन्तर	869	736	110	929	1853
बजट प्राक्कलनों से अन्तर की प्रतिशतता	13	10	1	9	15

राजस्व व्यय का लगभग 71% वेतन (₹5824 करोड़), ब्याज भुगतान (₹195 करोड़) तथा पेंशन (₹2105 करोड़) पर किया जाना 'प्रतिबद्ध' था।

विगत पाँच वर्षों में अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व व्यय	7644	8292	9438	11151	13946
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	5545 (73)	6121 (74)	6867 (73)	7970 (71)	9880 (71)
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	2099	2171	2571	3181	4066

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय विगत तीन वर्षों के दौरान लगभग उसी स्तर पर रहा, जबकि वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक राजस्व प्राप्तियों में ₹9308 करोड़ से लेकर ₹12711 करोड़ 36.56 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 23.95 प्रतिशत तक का आवर्धन हुआ।

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन शामिल है।


3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण (2010-11)

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	141	1
ख. राजकोषीय सेवाएं	156	1
(i) सम्पत्ति व पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	123	—
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	33	—
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	—	—
ग. ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा	1950	14
घ. प्रशासनिक सेवाएं	915	7
ड. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	2117	15
च. सामाजिक सेवाएं	4979	36
छ. आर्थिक सेवाएं	3682	26
ज. सहायता अनुदान	6	--
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	13946	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटकों (2006-07 से 2010-11)

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रुझान



अन्य सेवाओं में हुई स्थिर वृद्धि के मुकाबले में आर्थिक सेवाओं (जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि तथा सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं) पर हुआ व्यय काफी कम रहा।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है यदि वृद्धि प्रक्रियाएं लगातार बने रहती हैं। वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹1789 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.41% है) बजट प्राक्कलनों से ₹29 करोड़ कम थे। (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹44 करोड़ का अधिक संवितरण तथा आयोजनेतर व्यय के अधीन ₹15 करोड़ का कम व्यय।) यह विगत पांच वर्षों की तस्वीर है जहां पूंजीगत व्यय (बजट-सम्बन्धी तथा वास्तविक) दोनों ने न केवल सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर वृद्धि के साथ-साथ ही रफ्तार पकड़ी बल्कि आवश्यकता के दौरान मन्दी के कारण अव्यवस्थित रही।

नीचे दी गई सारणी से ऐसा प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	बजट प्राक्कलन	760	1098	1931	1863	1760
2	वास्तविक व्यय (#)	1110	1413	2079	1943	1789
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	146%	129%	108%	104%	102%
4	पूंजीगत व्यय में बढौतरी	35%	27%	47%	(-)8%	(-) 8%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*)	28358	31974	36940	42278	52426
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बढौतरी	11%	13%	16%	14%	24%

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2010-11 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹183 करोड़ का व्यय किया गया। (मुख्य सिंचाई पर ₹21 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹41 करोड़ लघु सिंचाई पर ₹121 करोड़)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹425 करोड़ का खर्च किया तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹197 करोड़ का निवेश किया।

3.3.2 विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	सामान्य सेवाएं (पूंजीगत)	61	59	64	64	73
	सामान्य सेवाएं (राजस्व)	3300	3429	3918	4377	5279
2	सामाजिक सेवाएं (पूंजीगत)	574	586	833	610	611
	सामाजिक सेवाएं (राजस्व)	2586	2876	3332	3902	4979
3	आर्थिक सेवाएं (पूंजीगत)	474	769	1182	1270	1104
	आर्थिक सेवाएं (राजस्व)	1755	1984	2184	2868	3682


ऋणों व अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹52426 करोड़) सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाये गए हैं।

अध्याय- 4


योजना तथा आयोजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2010-2011)



4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) ₹3648 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹15962 करोड़ का 23% है, जिसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹3026 करोड़, केन्द्रीय प्रायोजित/सी0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत ₹400.00 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम के अन्तर्गत ₹222 करोड़ है ।



राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2009-10 में ₹1238 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹1652 करोड़ तक की वृद्धि हुई । पूंजीगत क्षेत्रों में यह वृद्धि वर्ष 2009-10 में ₹1962 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹1996 करोड़ तक 2% रही ; केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों /सी0पी0 (राजस्व ₹88 करोड़ तथा पूंजीगत ₹235 करोड़) में यह वृद्धि 2009-10 में ₹453 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹565 करोड़ तक की वृद्धि (लघु सिंचाई आदि पर ₹1 करोड़ तथा सड़क एवं पुल पर ₹5 करोड़) हुई।

4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कुल पूंजीगत व्यय	1136	1427	2169	2013	2016
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	1067	1324	2006	1962	1996
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (योजनागत) की प्रतिशतता	94	93	92	97	99

4.2.2. पूंजीगत ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	राशि	उद्देश्य
6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	193	जल विद्युत उत्पाद के लिए हिमाचल प्रदेश बिजली निगम के ऋण
6425 सहकारिता के लिए ऋण	24	दिए गए ऋण: (क) विपणन एवं वितरण गतिविधियों हेतु (ख) मार्जिन मुद्रा तथा पूंजी निवेश के स्म में (ग) मशीनरी व उपकरण उपस्कर यथावर वस्तु इत्यादि

4.3 आयोजनेतर व्यय


वर्ष 2010-11 का आयोजनेतर व्यय ₹12314 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹12294 करोड़ तथा ₹20 करोड़ पूंजीगत) सकल वितरण के 77% को दर्शाता है। आयोजनेतर व्यय में पूंजीगत के अन्तर्गत ₹4 करोड़ ऋण तथा अग्रिम के स्म में किया गया वितरण शामिल है। ₹704 करोड़ में से (आयोजनेतर व्यय का 6%) रख रखाव पर तथा ₹ 658 करोड़ 94% वेतन एवं मजदूरी पर व्यय किया गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता



4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2010-11 वेतन तथा पेंशन में 25 % तथा 56 % की अप्रत्याशित वृद्धि मुख्यतः वेतन तथा पेंशन में सशोधन के कारण हुई।



विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का रुझान निम्न प्रकार से है

(₹ करोड़ में)

घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
प्रतिबद्ध व्यय*	5545	6121	6867	7970	9879
राजस्व व्यय	7644	8292	9438	11151	13946
राजस्व प्राप्तियां	7835	9142	9308	10346	12711
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	71	67	74	77	78
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	73	74	73	71	71

विगत पांच वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी (78%) की रफ्तार राजस्व व्यय में बढ़ोतरी (82%) की रफ्तार से अधिक था जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार द्वारा कम लचीला रख अपना पड़ा ।

*प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन शामिल है ।

अध्याय 5

विनियोजन लेखे

5.1 वर्ष 2010-11 के विनियोजन लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन		कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
				अभ्यर्पण	वसूलियां			
1.	राजस्व दत्तमत प्रभारित	10995.61 2255.31	808.99 8.71	154.81 288.95	1157.50 —	10492.28 1975.07	11965.11 1980.94	(+)1472.83 (+)5.87
2.	पूंजीगत दत्तमत प्रभारित	1925.65 —	114.63 6.64	100.42 —	42.32 —	1897.54 6.64	1780.25 8.74	(-)117.29 (+)2.10
3.	लोक ऋण प्रभारित	1026.04	—	146.70	—	879.34	869.64	(-) 9.70
4.	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	68.13	25.16	1.62	—	91.67	226.56	(+)134.89
5.	योग	16270.74	964.12	692.50	1199.82	15342.55	16831.24	(+)1488.70

5.2 विगत पांच वर्षों में बचत /आधिक्य का स्फान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2006-07	(+)494.03	(+)13.06	(+)171.00	(+)0.18	(+)678.27
2007-08	(+)290.32	(-)100.82	(-)59.89	(+)0.52	(+)130.13
2008-09	(+)84.13	(-)329.23	(+)0.23	(-)0.13	(-)245.10
2009-10	(+)682.01	(-)262.15	(-)1.00	(+)22.46	(+)441.32
2010-11	(+)1779.57	(-)199.27	(-)9.70	(+)3.20	(+)1573.80

5.3 महत्व पूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है।

₹1 करोड़ से अधिक निरन्तर तथा महत्वपूर्ण निवल बचत वाले कुछ अनुदानों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
3	न्याय प्रशासन	—	—	—	—	19.21
8	शिक्षा	—	—	225.35	34.50	64.10
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	42.17	—	15.37	23.84	35.39
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	25.65
23	विद्युत विकास	15.00	17.69	52.93	62.56	—
25	सड़क और जल परिवहन	—	—	37.24	—	18.70
28	शहरी विकास नगर एव ग्राम योजना तथा आवास	8.37	—	—	14.41	27.46
29	वित्त	—	247.54	345.26	161.97	238.06
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	—	75.51	7.72	9.68	11.09

लघु सिंचाई के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसे बजट- प्राकलन में बढ़ोतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा से नीचे सरकार की अपेक्षा के अनुक्रम रखकर निर्धारित किया जा सकता है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹964.12 करोड़ अनुपूरक अनुदान की कुल राशि (कुल व्यय का 5.13 प्रतिशत) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई। वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरुद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं ।

(₹ करोड़ में)

मांग सं०	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
05	2029-भू-राजस्व 103- भू-अभिलेख 02- जिला स्थापना प्रभार एस. ओ.ओ.एन. -आयोजनेतर	राजस्व	70.16	1.42	66.75
05	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05- राज्य आपदा प्रबंधन निधि 101- आरक्षित निधि तथा जमा लेखों को अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि 01- राज्य आपदा प्रबंधन निधि अन्तः लेखा स्थानान्तरण एस. ओ.ओ.एन. - आयोजनेतर	राजस्व	28.30	17.55	13.08
08	2202- सामान्य शिक्षा 80- सामान्य 107- छात्रवृत्तियां 10- प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के विधार्थियों को छात्रवृत्तियाँ सी.50 एन. - योजनागत	राजस्व	0	0.12	0
09	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी 001- निदेशन तथा प्रशासन 01- निदेशालय (एस. ओ.ओ.एन) आयोजनेतर	राजस्व	13.38	0.16	13.19
09	2211- परिवार कल्याण 102- शहरी परिवार कल्याण सेवायें 01- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र (एस. ओ.ओ.एन.) - आयोजनेतर	राजस्व	9.36	0.09	8.74
13	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 800- अन्य व्यय 08- बाटा नदी का नहरीकरण (एस. ओ.ओ.एन.) - योजनागत	पूंजीगत	11.10	4.56	0
31	2029- भू-राजस्व 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01- जिला स्थापना पर व्यय (एस. ओ.ओ.एन.) - आयोजनेतर	राजस्व	2.55	0.21	2.43

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बावजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

(₹ करोड़ में)

मांग सं०	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
7	2055- पुलिस 109- जिला पुलिस 01- जिला कार्यकारिणी फोर्स- (एस. ओ.ओ.एन.) आयोजनेतर	राजस्व	166.61	34.74	208.48
9	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियों- 001- निदेशन तथा प्रशासन- 02- जिला प्रशासन (एस. ओ.ओ.एन.) - आयोजनेतर	राजस्व	36.24	0.38	42.75
9	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, अन्य चिकित्सा पद्धतियों- 101- आयुर्वेद- 02- आयुर्वेदिक चिकित्सालय (एस. ओ.ओ.एन.) आयोजनेतर	राजस्व	31.65	4.66	49.52
9	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105- एलोपैथी 01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविधालय शिमला- (एस. ओ.ओ.एन.) - आयोजनेतर	राजस्व	56.54	8.69	79.59
11	2401- फसल कृषि कर्म- 800- अन्य व्यय- 13- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- (एस. ओ.ओ.एन.)- योजनागत	राजस्व	6.04	21.00	34.25
13	2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता- 01- जलापूर्ति 101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम- 02- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाए- रखरखाव तथा मरम्मतें (एस.ओ.ओ.एन.) - आयोजनेतर	राजस्व	108.26	7.27	128.00
13	2702- लघु सिंचाई 80- सामान्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 02- प्रभारित कामगारों का स्थायी स्थापना में नियमित होना- (एस. ओ.ओ.एन.) - आयोजनेतर	राजस्व	83.68	15.37	112.27
14	2403- पशुपालन 101- पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य- 01- अस्पताल और औषधालय एस. ओ.ओ.एन. - आयोजनेतर	राजस्व	91.24	10.74	113.51

अध्याय 6

परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता। इसी प्रकार जैसा कि लेखे चालू-वर्ष में उदभूत हो रहे दायित्व प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं, वे भावी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को, ब्याज की दर तथा वर्तमान ऋणों की अवधि द्वारा दर्शाई गई सीमित परिधि के सिवाय, चित्रित नहीं करते।

गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी0एस0यू0) में शेयर-पूंजी के रूप में कुल निवेश, वर्ष 2010-11 के अन्त में ₹168 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर लाभांश ₹64 करोड़ (2%) प्राप्त हुआ। 2010-11 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश ₹201 करोड़ की बढ़ोतरी हुई लेकिन लाभांश आय में तत्सम्बन्धी ₹9 करोड़ कम हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 31 मार्च 2010 को ₹ (-) 302 करोड़ रहा तथा मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹272 करोड़ कम हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में सरकार ने 166 अवसरों पर ₹25861 करोड़ तात्कालिक खजाना बिलों में निवेश किया तथा 282 अवसरों पर ₹25537 करोड़ के मूल्य का पुनः बटटा चुकाया। ऐसे निवेश (₹324 करोड़) की शुद्धराशि राज्य सरकार के समर्पण रोकड़ शेष को सम्पूरित करती है।

6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2010-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹1612 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों का विवरण तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	लोक ऋण (*)	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	कुल दायित्व	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता
2006-07	13152	46	4919	17	18071	64
2007-08	14064	44	5354	17	19418	61
2008-09	15427	42	6391	17	21818	59
2009-10	17113	40	6599	13	23712	56
2010-11	18654	36	7759	15	26413	50

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत वर्ष में ₹2701 करोड़ (11%) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गई।

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित।

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उत्तरोत्तर शेष हैं।

भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकारें किस सीमा तक बाजार से उधारी कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार हेतु, यह सीमा वर्ष 2009-10 में ₹17.37 करोड़ से 2010-11 में ₹15.66 करोड़ तक घटा (10 % तक) दी गई थी।



(*)स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज रहित बाध्यताएं।

6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैधानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा ही गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त तक	प्रत्याभूति अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	31 मार्च 2011 के अन्त तक बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2006-07	6347	2852	125
2007-08	6450	2594	38
2008-09	6076	2254	37
2009-10	4361	1924	25
2010-11	6232	3248	662

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापिसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं। 31 मार्च 2011 को राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2010-11 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹483 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹435 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2011 के अन्त तक ₹4 करोड़ के मूलधन तथा ₹1 करोड़ ब्याज की राशि की वसूली बकाया पड़ी थी। वर्ष 2010-11 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹73 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹12 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2006-07 में ₹399 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹849 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹348 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 41 प्रतिशत थे।

बिगत पांच वर्षों के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्था	101	134	188	218	256
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	47	71	82	116	92
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संख्या	117	176	204	231	311
4	विकास एजेंसी	93	38	44	49	52
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्था	--	--	5	41	48
6	अन्य संस्था	41	48	59	63	90
	जोड़	399	467	582	718	849

7.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1.4.2010 की स्थिति	1.4.2011 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	281	635	(+)354
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	583	907	(+)324
चिन्हित निधियों से निवेश	—	—	
शोधन निधि	—	—	
प्रत्याभूति विमोजन निधि	—	—	
अन्य निधि	—	—	
ब्याज वसूली	64	50	(-) 14

निवेश हेतु चिन्हित निधि शेषों तथा अपने रोकड़ शेषों का उपयोग किए जाने के बावजूद राज्य सरकार के पास 2010-11 के अन्त में सकारात्मक समापन शेष पड़ा था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में 22% तक का ह्रास हुआ।

7.5 लेखाओं का समाधान

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान महालेखाकार द्वारा लेखाबद्ध किए गए आंकड़ों के साथ करें। वर्ष 2010-11 के सम्बन्ध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सरकार के निवल सकल व्यय के ₹15735 करोड़ के शुद्ध मूल्य तथा सरकार की सकल प्राप्तियों के ₹13356 करोड़ की राशि का शत-प्रतिशत समाधान पूर्ण कर लिया गया है।

7.6 कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

वर्ष के दौरान जिला कोषागारों द्वारा प्रेषित किए गए 180- खजानों के लेखा प्राप्त हुए तथा लेखांकित किए गए। वर्ष के दौरान 127 लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों तथा 87 वन मण्डलों ने 5682 लेखा भेजे। कोषागारों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रेषण में 1 से 7 दिनों के बीच विलम्ब हुआ (विशेषतः पांगी, कांगड़ा, नाहन, मंडी, और ऊना)

7.7 आकस्मिकता बिल (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता (डी.सी.) बिल

जब धन-राशि पहले अपेक्षित हो या आहरण तथा संवितरण अधिकारी अपेक्षित वास्तविक राशि की गणना न कर पायें तो सार-आकस्मिक (ए सी) बिलों के माध्यम से समर्पित दस्तावेजों के बिना उन्हें राशि आहरण करने की अनुमति दी गई है। ऐसे सार आकस्मिक बिलों का विशेष अवधि के भीतर सविस्तार आकस्मिक बिलों (अन्तिम व्यय के समर्थन में) के माध्यम से प्रेषण द्वारा समायोजन किया जाना आवश्यक है। 31 मार्च 2011 की समाप्ति तक वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 0.68 करोड़ के 22 सार आकस्मिक बिल तथा

वर्ष 2009-10 से सम्बद्ध 1-सार आकस्मिक बिल उसी वित्तीय वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं हुए हैं। अवधि-वार विवरण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतीक्षित सार आकस्मिक बिलों की संख्या	सम्मिलित राशि
2008-09	22	1
2009-10	1	< एक करोड़*
2010-11	--	—

*राशि ₹10000/- (दस हजार रुपये केवल)

7.8 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यों बारे वचनबद्धता

विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹37 करोड़ की अनुमोदित लागत के सम्मुख वर्ष 2010-11 तक ₹86 करोड़ (वर्ष 2010-11 के वित्तीय लेखे के खण्ड- II में दिए गए परिशिष्ट X के अनुसार) का कुल व्यय किया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा कुल ₹7 करोड़ का व्यय किया गया था ।

विभिन्न परियोजनाओं पर वास्तविक अनुमानित लागत (₹37 करोड़) में 281 % का आवर्धन हुआ मल-निकास स्कीमों तथा जलापूर्ति स्कीमों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों में असामान्य वृद्धि पाई गई। अपूर्ण पूंजीगत निर्माणकार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का श्रेणी	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य को लागत
1	मल निकास स्कीम	29	6	64	1	85
2	जलापूर्ति स्कीम	8	1	22	-	19
	जोड़	37	7	86	1	104 #

₹32 करोड़ (₹72 करोड़ + ₹32 करोड़) के संशोधित प्राक्कलन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

